न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता जिला–बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री इकबाल हुसैन पुत्र श्री नूर मोहम्मद सीसवाली जिला–बारां
प्रो.–साहिल मोबाईल पॉइंट मॉगरोल रोड, सीसवाली जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री असलम भारती,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 07.03.2017 को बारां अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरां के छोडे वाहनो में अवैध रूप से भरने की शिकायत पर सहिल मोबाइल पॉयैट मॉगरोल रोड, सीसवाली पर पहुॅचा। दुकान की जॉच के दौरान दुकान मालिक श्री इकबाल हुसैन द्वारा वाहन मारूति 800 आर. जे.28 सी.ए. 2700 में अवैध रिफलिंग की जा रहीं थी। मौके पर दो गैस सिलेण्डर बी0पी0सी0एल0 कम्पनी के मिले जिनमे एक प्लास्टिक पाईप के जरिये रिफलिंग मशीन से जुडा हुआ था तथा एक गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखा हुआ था । इस प्रकार उक्त दोनो 14.2 किग्रा0 के घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से रिफलिंग के व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये। इस बाबत दुकानदार श्री इकबाल हुसैन से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	277284 S	BPCL	14.2	16.2	16.2	0.0
2	041640S	BPCL	14.2	15.9	28.9	13.0

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो व मशीन को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री इन्द्र राज गोस्वामी पुत्र भॅवरलाल गोस्वामी हाल प्रतिनिधि मै. गैस सर्विस, अन्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 13.0

किग्रा. गैस एवं एक रिफलिंग मशीन का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में जवाब बन्द कर बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, दिनांक 7.3.2017 को अप्रार्थी के अप्रार्थी की दुकान प्रो0 साहिल मोबाइल पोइंट, सीसवाली पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर व गैस रिफलिंग करने की मशीन पायी गयी। मौके पर एक वाहन मारूति कार में गैस सिलेण्डर से रिफलिंग की जा रहीं थी। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं रिफलिंग मशीन को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्धान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डरो को जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा गैस रिफलिंग करने की बात लिखी है, जो पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। अप्रार्थी का व्यवसायिक परिसर दुकान के ऊपर उसका रहवास है जिसमें परिवार सहित निवास करते है। गैस सिलेण्डरों को एक हीं परिसर होने से दुकान में रखे गये थे। उनके द्वारा कभी भी गैस सिलेण्डरों में से गैस रिफलिंग का व्यवसाय नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर जप्ती की कार्यवाहीं की गयी है, जो पूर्णतया असत्य व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 2 मय गैस एवं मशीन को अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 साहिल मोबाइल पोइंट, सीसवाली पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 2 गैस सिलेण्डरों एवं एक रिफलिंग मशीन को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से

दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर से मारूति कार में रिफलिंग की जा रहीं थी। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं मशीन को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी0पी0सी0एल0 मय 13.0 किग्रा. गैस एवं एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी बी0पी0सी0एल0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा एक रिफलिंग गैस मशीन को खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.02.06 10:55:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: